न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़

इजलास – त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 04 / 2016
तारीख दायर 11.01.2016

उनवान

1. शांति पत्नी लादु जाति गुर्जर निवासी भारलिया तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाडा।

––वादिया

बनाम

1 भैरू पिता नंदा जाति गुर्जर निवासी भारलिया तह.माण्डलगढ़ जिला भीलवाडा।
2 गंगाराम पिता नंदा जाति गुर्जर निवासी भारलिया तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाडा।
3 देवा पिता काना जाति गुर्जर निवासी भारलिया तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाडा।
4 गोपाल पिता काना जाति गुर्जर निवासी भारलिया तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाडा।
5 सुडी बेवा काना जाति गुर्जर निवासी भारलिया तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाडा।
6 भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

––प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. श्री विनोद कुमार मारू, अधिवक्ता (वादिया)

वादपत्र अर्न्तगत धारा 53–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 25.10.2019

वादपत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अंतर्गत धारा 53–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाद नियमित सुनवाई इस न्यायालय द्वारा दिनांक 06.06.2017 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राम भारलिया पटवार हल्का जालिया में स्थित आ0सं0 182 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सानुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करने हेतु प्राथमिक डिक्री के आदेश दिये जाकर तहसीलदार माण्डलगढ़ को विभाजन कर बंटवाडा प्रस्ताव भिजवाने हेतु लिखा गया।

तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा आदेशानुसार बंटवाडा प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 28.06.2018 को विभाजन प्रस्ताव मय ट्रेस जमाबंदी के प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव पर बहस अधिवक्ता सुनी गई। वादी एवं प्रतिवादीगण तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा प्रस्तुत बंटवाडा प्रस्ताव से सहमत है।

अतः वाद पत्र वादी अंतर्गत धारा 53–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के तहत सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि :–

क्र.सं.	नाम खातेदार	मौजा	आराजी संख्या	रकबा	लगान
1	शांती पत्नी लादु गुर्जर सा.देह खातेदार रहन एस.बी.आई शाखा माण्डलगढ़	भारलिया	182	3.10	1.05
	योग		किता 1	3.10	1.05

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़ जि.–भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

2	भैरू, गंगाराम पिता नंदा, नानी पिता नंदा 1/2 देवा, गोपाल पिता काना सुडी वेवा काना 1/2 गुर्जर सा.देह खातेदार रहन वी.ओ.वी. शाखा माण्डलगढ़ हिस्सा देवा, गोपाल	भारलिया	182/1 182/2	3.11 3.10	1.02 0.98
	योग		किता 2	7.01	2.00

उक्तानुसार खातेदारो के नाम पर भूमि पृथक पृथक दर्ज किए जाने के आदेश दिये जाते है। वकील वादी द्वारा नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेश करने पर डिक्री मुर्तिब हो। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(त्रिलोक चन्द मीना)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Scanned by CamScanner